झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–15/2020

मजहर अंसारी उर्फ मो0 मजहर अंसारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री जे0एन0 उपाध्याय, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री पंकज कुमार, विशेष पी0पी0।

2/15.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता एम0जी0एम0 थाना काण्ड संख्या–52/2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि एक इंडिगो वाहन को रोक दिया गया था और यात्री भागने में सफल रहे। वाहन की तलाशी लेने पर 10 किलो गांजा जब्त किया गया। याचिकाकर्त्ता वाहन का मालिक है। हालांकि, याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि वाहन 1 वर्ष की अवधि के लिए नसीमुल अंसारी को किराए पर दिया गया था और इसलिए याचिकाकर्त्ता गांजा परिवहन के लिए जिम्मेदार नहीं था। याचिकाकर्त्ता 30.08.2018 से हिरासत में है।

उपरोक्त परिस्थिति एवं हिरासत की अवधि के आलोक में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो

प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान विशेष न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के संतुष्टि पर, एम0जी0एम0 थाना काण्ड संख्या–52/2019 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)